

कोविड –19 महामारी के कारण भील जनजाति श्रमिकों का पलायन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

वालचन्द यादव*

सार

प्रस्तुत शोध पत्र पूरी दुनिया में फैले कोविड-19 महामारी के कारण भील जनजाति श्रमिकों का पलायन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन को लेकर है। पलायन एक बहु आयामी घटना है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास जनशक्ति नियोजन, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। कोविड-19 महामारी के कारण भारत की श्रमिक जनजाति शहरी जनसंख्या का नगरों एवं महानगरों सेगांवों की ओर पलायन की प्रवृत्ति में अप्रत्याक्षित वृद्धि हुई है। जिसने न केवल जनसंख्या नियोजकों एवं नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है, अपितु क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक विकास पर भी प्रश्न चिह्न लगा दिया है। शहरी क्षेत्रों से जनसंख्या के अधिकाधिक पलायन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है, अपितु तात्कालिक परिपेक्ष्य में पलायनकर्ताओं के गंतव्य स्थल की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। भील जनजाति श्रमिकों के रूप में सबसे अधिक परिवार बेरोजगारी और साधनहीनता के शिकार हैं। प्रवजन की स्थिति पूरे देश में कारखाने, खेत और श्रम के विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्र में अवसर खोजने की कहानी कहती है। भील जनजाति के श्रमिक स्वयं-सहायता समूहों के जरिये परिवार की आमदनी के लिये प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 के दौर में भील जनजाति के श्रमिकों के सामने नयी स्थिति और अवसरों की तलाश उन्हें करनी होगी। कोविड-19 महामारी के दौरान तमाम प्रकार के सरकारी प्रयत्नों के बाद भी मूल निवास में श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। परिणामतः पलायन उनकी मजबूरी होती है। इस प्रकार भील जनजाति के श्रमिक परिवारों में पलायन की प्रवृत्ति पायी जाती है।

शब्दकोश: भील जनजाति, श्रमिक, कोरोना महामारी, पलायन, आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव।

प्रस्तावना

पलायन या प्रवास एक सार्वभौमिक तथ्य है। दुनिया के प्रत्येक समाज में किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रवास की प्रवृत्ति को आवश्यक रूप से देखा जा सकता है। प्रवास के कारण भी अनेक हो सकते हैं, कभी प्रवास का कारण धार्मिक यात्रा या तीर्थाटन होता है तो कभी उच्च शिक्षा, रोजगार युद्ध, अकाल व महामारी

जनसंख्या के बड़े पलायन का कारण बनती है। कारण के अनुरूप ही हमें इसका प्रभाव भी समाज में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों में देखने को मिलता रहा है। जहाँ सकारात्मक प्रवास के प्रभावभी सकारात्मक होते हैं, वहीं विपत्ति एवं आपदा में किये जाने वाले प्रवास का नकारात्मक प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। भारत में प्रवास की प्रकृति को अभी तक मूल रूप से प्राकृतिक आपदा, गरीबी और भूखमरीसे जोड़कर देखा जाता रहा है। इसका कारण भी वाजिब है, क्योंकि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश की कुल आबादी का 26 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है और प्रवास का संबंध इस बड़े भाग से रहा है। भारत में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आंकलित की गयी है

* शोधकर्ता, मोहन लाल सुखडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जबकि 31.16 प्रतिशत की आबादी शहरों में निवास करती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना 1951 में गांवों और शहरों की आबादी का अनुपात 83 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत था। आजाद भारत के छः दशक बाद 2011 की जनगणना में गांवों और शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत 70 एवं 30 प्रतिशत था इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में गांवों के व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। गांवों से पलायन कर शहर पहुंचे लगे कोरोना महामारी से बचने के लिए वापस गांव पहुंच रहे हैं। अब यदि देश की 130 करोड़ से अधिक जनता को अन्न आरै फल-सब्जी-दूध चाहिए तो इन ग्रामीणों में से ज्यादातर को गांव में राके कर गांव को समृद्धशाली बनाना होगा। इससे इनको जीने का बेहतर अवसर मिले और देश को भी अनाज मिलता रहे।

कोरोना महामारी के दौरान शहर और उद्योगों के हालात बदतर होते चले गये। देश में करीब 46 करोड़ लागे असंगठित क्षेत्रों में हैं, जबकि 20 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूरों का बाझे पहले से ही कृषि क्षेत्रे उठा रहा है। इसमें लगातार मशीनीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण मजदूरों की मांग घटी है। भारत में प्रवास का जो स्वरूप देखने को मिलता है, वह ग्राम में नगर उत्प्रवास मुख्य है, अर्थात् लोग विभिन्न कारणों से गाँव से शहर की ओर प्रवास करते हैं। ऐसी स्थिति में इसका सर्वाधिक प्रभाव भी ग्रामीण समुदाय में ही देखा जा सकता है, यदि हम इसके प्रभाव की व्यापकता पर विचार करते हैं तो इससे बच्चे और वृद्ध ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक ओर जहाँ पूरा विश्व कोविड-19 बीमारी से झूज रहा है, वही जनजाति श्रमिक परिवारों की स्थिति भी बहुत नाजुक हो रही थी, जिसका कारण भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम होने लगा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के विकल्प को अपनाया गया है। उस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को पलायन जैसी गम्भीर समस्या से दो-चार होना पड़ा, लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है, अमुमन हमने रोजगार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा में गांव और कस्बों से महानगरो की आरे पलायन होते देखा है परन्तु इस समय महानगरों से गांवों की आरे हो रहा पलायन निःसंदेह चिन्ताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी है। सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरो और शहरों से गांव एवं कस्बों की आरे होने वाले पलायन से है, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांव की ओर प्रवासन हो रहा है, लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धन्धा बन्द होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजुम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा। इस प्रवासी संकट को दूर करने के लिए सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकजे के हिस्से के रूप में मनरेगा के लिए 40 हजार कराड़े रूपये का अतिरिक्त फण्ड आवंटित किया है। पलायन के कारणों में खराब मजदूरी दर-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह स्थिति कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाश करने को विवश करती है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गांव में सार्वजनिक काम शुरू हो, कार्यस्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरन्त काम प्रदान किया जाना चाहिए। इस समय मनरेगा मजदूरों को भुगतान में तेजी लाने की आवश्यकता है, मुख्य रूप से नकदी को श्रमिकों तक आसानी व कुशलता से पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन शहरी क्षेत्रों से कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण भील जनजाति श्रमिक मजदूरों के पलायन से संबंधित है, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण परिवार के कार्यशील सदस्यों (युवा सदस्यों) के पलायन के फलस्वरूप परिवार में रह गये वृद्धजन या महिला और बच्चों सहित परिवार पर प्रभाव का ज्ञात किया गया है। अध्ययन मुख्य रूप से श्रमिक परिवारों पर केन्द्रित है। अध्ययन में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण कार्यशील भील श्रमिक परिवार के सदस्यों का पलायन से उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को शोध परक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

ली (1966) ने प्रवास को आकर्षण एवं विकर्षण कारकों के आधार पर स्पष्ट किया है। टोडारो (1967) ने अपने माडल में (प्रवास संबंधी) चार प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन प्रमुखतः आर्थिक विषमताओं के कारण होता है। पलायन इस अनुमान पर आधारित होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं मजदूरी अधिक होगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है, कि यह वास्तविकता भी हो। शहरी क्षेत्रों में राजे गार की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर से संबंधित होता है। टोडारो (1967) ने अपने माँडल में (प्रवास संबंधी) चार प्रमुख बातों का उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन प्रमुखतः आर्थिक विषमताओं के कारण होता है। पलायन इस अनुमान पर आधारित होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं मजदूरी अधिक होगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है, कि यह वास्तविकता भी हो। शहरी क्षेत्रों में राजे गार की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर से संबंधित होता है। शहरी क्षेत्रों में बेराजे गारी की उच्च दर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राजे गार के अवसरों में व्याप्त बहुत बड़े अंतर का परिणाम है। एस.के.शर्मा (1989) ने राजस्थान में पलायन की समस्या एवं इसके कारण तथा पलायनकर्ता श्रमिकों द्वारा अपनाए जाने वाले परिवहन के साधनों तथा श्रमिकों द्वारा पलायन के पश्चात् किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण किया है। अमर्त्य सेन (1999) ने भारत के विभिन्न राज्यों में आए अकाल, बंगलादेश तथा इथापिया में पड़े अकाल के आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि अकाल से कृषकों के साथ-साथ उन पर आश्रित भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति और भयावह हो जाती है तथा यह स्थिति इन्हे हजारों किलोमीटर दूर पलायन करने के लिए विवश करती है। गुप्ता एवं शर्मा (1996) ने अपने पलायन संबंधी अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि मुख्यतः पुरुष ही प्रवास करते हैं तथा महिलाएं सामान्यतः पुरुषों का अनुसरण करते हुए प्रवास करती हैं। सुन्दरी एवं रूखमणी (1998) का अध्ययन महिला प्रवासी श्रमिकों से संबंधित रहा है, जिसमें प्रवास का प्रवासी महिलाओं के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की गई है। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि प्रवास स्थल पर शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव होने की स्थिति में बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। कुछ प्रवासी मजदूर अपने बच्चों को प्रवास स्थल के विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, तो स्थानीय विद्यालयों में उन्हें आसानी से प्रवेश नहीं मिल पाता है, चूंकि श्रमिक मूल रूप से अर्थोपार्जन के लिए प्रवास करते हैं, ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा को लेकर न तो गंभीर हो पाते हैं ना ही उस स्तर का प्रयास करते हैं। परिणामतः प्रवासी परिवारों में निरक्षर बच्चा की तादात बढ़ती चली जाती है।

अध्ययन की आवश्यकता

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। समाज की इकाई व्यक्ति है। यह सर्वविदित है कि इस इकाई की रढ़ता पर समाज निर्भर रहता है। समाज सही दिशा में विकास करे। इसके लिए आवश्यक है, कि समाज में रहने वाले व्यक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम हो। सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए सिर्फ सरकारी नीतियाँ ही सहायक नहीं होती हैं। वरन् व्यवहार के रूप में सकारात्मक कदम उठाने से होती है। श्रम पलायन करने वाले परिवारों के समक्ष न केवल आर्थिक समस्या है, वरन् सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पाता तो वे कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, पर सरकार की नीतिया सही नहीं होने के कारण अथवा अशिक्षित होने के कारण यह है, कि वे अपने प्राथमिक आवश्यकता (रोटी, कपड़ा व मकान) की पूर्ति में दिन रात लगे रहते हैं और गांवों से शहर की ओर पलायन करने लगते हैं, जिससे शहरों में रहकर वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 21वीं सदी में भील समुदाय की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है जो कि इनकी परम्परागतसांस्कृतिक धराहे रो का जीवन दर्शन कराती है। गँवरी दक्षिणी राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों की एक विशेष नृत्य नाटिका है जो इनकी धार्मिकता एवं सांस्कृतिक कला का जीता जागता नमूना है। आजव्यथा यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। सामाजिक संगठन कमजोर होते जा रहे हैं। संस्कृति

भीसंक्रमण के दौर से गुजर रही है। पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय परिवार जो समाज में मेहनती वकमजोर हैं तथा रात दिन मजदूरी करने में लगे रहते हैं और ये श्रम पलायन करने वाले परिवारों के जीवनके महत्व को भली-भांति समझते हैं। लेकिन अपने आर्थिक समस्या के कारण अनेक उत्पन्न समस्या को दूर नहीं कर पाते। कोविड-19 महामारी के दौरान श्रम पलायन करने वाले भील समुदाय परिवारों के जीवनयापन की समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप में विद्यमान हो गई है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरो को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जायेगा। अतः कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लाकडाउन लगने से श्रम पलायन करने वाले भील समुदाय परिवारों की सामाजिक आर्थिक समस्या का अध्ययन आवश्यक है, जिसके द्वारा उनकी समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन कर उन कारणों का पता लगाया जा सके, जहाँ कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लाकडाउन लगने से जीवन यापन करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे इन अवरोधों को दूर किया जा सके। अतः उक्त बातें अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- कोविड-19 महामारी में पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय परिवारों की पलायन करने की प्रवृत्ति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
- कोविड-19 महामारी में पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय परिवारों में उनके सामाजिक- आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

- कोविड-19 महामारी में पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय परिवारों में पलायन करने की प्रवृत्ति हो सकती है।
- कोविड-19 महामारी में पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय परिवारों में उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

न्यादर्श

शाधे अध्ययन हेतु बांसवाडा जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय परिवारों का चयन किया गया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण कुल 100 पलायन करनेवाले श्रमिक भील परिवारों का चयन किया गया है।

उपकरण

प्रदत्तों के संकलन के लिये कोविड –19 महामारी के कारण पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय के परिवारों के लिये स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिशत विधि का प्रयोग समीक्षात्मक अध्ययन के लिए किया गया। पलायन करनेवाले श्रमिक परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया जाएगा, जिसमें (हां/नहीं) वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके लिए संकलित प्रदत्तों को सारणीकृत किया गया और प्रदत्तों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का योग कर प्रतिशत निकाला गया है। इसके लिए संकलित प्रदत्तों का सारणीकृत किया गया। प्रदत्तों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का योग कर प्रतिशत निकाला गया है।

निष्कर्ष

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार हैं –

- कोविड-19 महामारी में पलायन करने वाले श्रमिक भील समुदाय के परिवारों की पलायन करने की प्रवृत्ति हो सकती है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष परिकल्पना की पुष्टि करता है कि अध्ययनगत समूहके कुल 100 परिवारों में से 56.25 प्रतिशत परिवार से एकल पलायन होता है, जबकि 43.75

प्रतिशत परिवार सपरिवार पलायन करते हैं। बच्चों के पलायन संबंधी विवरण से यह ज्ञात होता है, कि 43.25 प्रतिशत बच्चों परिवार के साथ पलायन करते हैं।

- कोविड-19 महामारी में आईएलओ पहले ही कह चुका है कि कोरोना वायरस महामारी केवल एकचिकित्सा संकट नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। सभी तरह के उद्योगों ने पहले ही काम बंद कर दिया है, कामकाज के समय में कटौती की है और कर्मचारी हटाए गए हैं। अनेक छोटी उत्पादन इकाइयाँ और सेवा प्रदाता, पतन के कगार पर हैं और दुकानों व रेस्तराँ चलानेके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, अक्सर सबसे पहले उन लोगों का राजे गार खत्म हो जाता है जिनके रोजगार अनिश्चित होते हैं – जैसे कि अनुबंध और आकस्मिक श्रमिक, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
- लॉकडाउन से न केवल श्रमिक बल्कि उनके परिवार भी प्रभावित हुये, क्योंकि राजे गार नहीं होगा तो धन भी मिलेगा. दिहाड़ी मजदूरों और अनौपचारिक मजदूरों की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक होती है। कामकाज व रोजगार के अवसरों की अनिश्चितता और शहरी क्षेत्रों में रहने की उच्च लागत के कारण प्रवासी श्रमिकों पर अपने मूल निवासों पर लौटने का दबाव बन गया।
- कोविड-19 महामारी में प्रवासियों के पलायन से वायरस के प्रसार में वृद्धि का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। महामारी के लंबे समय तक प्रसार और बने रहने से समाज में गरीबी और असमानता के चक्रों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इसीलिए प्रवासी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने को मजबूर हो गये।
- कोविड-19 महामारी में पलायन करने वाले भील श्रमिक परिवारों में सामाजिक आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष परिकल्पना की पुष्टि करता है, क्योंकि प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है, कि 81.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है, कि प्रवासी श्रमिकों में प्रवास की प्रवृत्ति का प्रभाव उनके आय व स्थिति पर बहुत कम पड़ता है और कोविड-19 महामारी में तो यह और कम हो गया, जिसके कारण प्रवास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की कमी हो गई। प्रवास स्थल पर आर्थिक सुविधाओं की स्थिति संबंधी विवरण से यह ज्ञात होता है, कि 38.35 प्रतिशत उत्तरदाता सपरिवार प्रवास करते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे भी साथ होते हैं। प्रवास स्थल पर श्रमिक झुग्गी में या फिर तंबू डालकर कार्य स्थल के पास-पास रहते हैं। अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान तमाम प्रकार के सरकारी प्रयत्नों के बाद भी मूल निवास में कृषि श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं परिणामतः पलायन उनकी मजबूरी होती है। इस प्रकार पलायन करने वाले श्रमिक भील जनजाति परिवारों में पलायन की प्रवृत्ति पायी जाती है। अतः परिकल्पना की पुष्टि हाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद : राजपुताने का इतिहास, खण्ड III भाग III, प्रतापगढ़ . राज्य का इतिहास, वैदिक यंत्रालय, अजमेर, 1941
2. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद : राजपुताने का इतिहास, प्प भाग प्प, बांसवाडा राज्य का इतिहास, वैदिकयंत्रालय, अजमेर (प्रथम संस्करण), वि.सं1993
3. कांकरिया, प्रेमसिंह : भील क्रांति के प्रणेता : मोतीलाल तेजावत, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, 1985
4. काले, सुश्री मालिनी : भील संगीत और विवेचन हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, 1987
5. जैन, श्रीचन्द्र : ये वनवासी भील, वनवासी भील और उनकी संस्कृति, रोशनलाल जैन एण्ड सन्स, जयपुर द्वितीय संस्करण 1997

